न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 137/2016 (उदयपुर डिक्री)

1. श्री केवलराम पिता माना जी डांगी निवासी विकरणी तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री हेमराज पिता माना जी डांगी निवासी विकरण तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री लखमीचन्द पिता लच्छा जी भील निवासी छापरा, विजनवास तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर
मावली दिनांक 08–06–2016 प्रकरण संख्या
269/2015 वाद

———

उपस्थित :–1–श्री पुरूषोतम डांगी अभिभाषक अपीलान्ट्स
2– रेस्पोन्डेन्ट अनुपस्थित

———/———

निर्णय **दिनांक 30–11–2017**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी द्वारा प्रतिवादी अपीलान्ट के विरूद्ध धारा–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम विकरणी की आराजी नंबर 1364/3 रकबा 5 बीघा वादी की खातेदारी की भूमि होकर वह काबिज है। जिस पर किसी अन्य का कोई हक नहीं है, प्रतिवादीगण उक्त भूमि में बेज़ा दखलन्दाजी कर निर्माण करना चाहता है। अतएव उसे स्थाई निषेधाज्ञा दिलवाई जाय।

अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की और से दिनांक 3–12–2013 को वकालत पत्र अधिवक्ता का प्रस्तुत हुआ तथा दिनांक 28–3–2016 तक प्रकरण जवाबदावे में चलता रहा। दिनांक 18–4–201 को प्रकरण को लोक अदालत में रखा गया तथा वादी रेस्पोन्डेन्ट की उपस्थिति में ही प्रकरण को कैम्प विजनवास में रखे जाने का आदेश हुआ। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में दिनांक 8–6–2016 को निम्नानुसार आदेश पारित कर दिया :–

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 08.06.2016 **पत्रावली राजस्व लोक अदलत अभियान 2016 कैम्प विजनवास में पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा प्रकरण में उभय पक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने का निवेदन किया।** **हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का ाअध्ययन किया। हमने अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी। अधिवक्ता उभयपक्ष प्रकरण में उभय पक्षकारान को मौके की यथास्थिति रखने हेतु सहमत है। अतः पत्रावली राजस्व लोक अदालत की भावना से आंशिक स्वीकार योग्य पाई जाती है।** **–: <u>आदेश</u> :–** **परिणाम स्वरूप प्रार्थना पत्र धारा–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा विकरणी पटवार हल्का विजनवास की आ.नं. 1364/3 किता–1 रकबा 5 बीघा भूमि में उभय पक्षकारान मौके की यथास्थिति बनाये रखे। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द रहे। डिक्री पर्चा जारी हो।** **पत्रावली फैसल सुमार हो नम्बर से कम हो।** **निर्णय राजस्व लोकर अदालत अभियान कैम्प विजनवास में सुनाया गया।** **ह0/–** **(जितेन्द्र ओझा)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली**	

अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 8–6–2016 से रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 6–12–2016 को पेश की।

अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन पस्तुत करते हुए निवेदन किया कि दिनांक 8–6–2016 की पेशी बाबत उसे कोई जानकारी नहीं थी। क्योंकि दिनांक 28–3–2016 को प्रकरण में दिनांक 25–7–2016 की पेशी दी गई थी तथा दिनांक 25–7–2016 के स्थान पर दिनांक 18–4–2016 को बिना सूचना प्रकरण को लोक अदालत में रखा गया तथा पुनः 8–6–2016 को लोक अदालत में अपीलान्ट व उसके अधिवक्ता को सुने बिना सहमति निर्णय बताकर निर्णय कर दिया गया है। दिनांक 25–7–2016 को पेशी पर पत्रावली उपलब्ध नहीं हुई। जिसकी जानकारी दिनांक 5–12–2016 को हुई कि प्रकरण को लोक अदालत में निर्णित कर दिया गया है। ताईद में शपथ पत्र भी दिया है।

वर्णित परिस्थिति में न्यायहित व अखण्डित शपथ के आधार पर मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा कथ किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी सूचना के प्रकरण को दिनांक 8–6–2016 को लोक अदालत में रखकर अपीलान्ट को सुने बिना उनकी उपस्थिति बताते हुए निर्णय किया है। जबकि उनकी उपस्थिति व सहमति बाबत् अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कुछ भी उपलब्ध नहीं है। विवादित भूमि पर अपीलान्ट का पुराना कब्जा है। अतएव अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाय।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत की सूचना अपीलान्ट को दिये बिना निर्धारित तिथि से पृथक तिथि को प्रकरण को सुनवाई में रखा है तथा अपीलान्ट व उनके अधिवक्ता की

उपस्थिति अथवा सहमति बाबत कोई साक्ष्य नहीं है तथा स्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में यथास्थिति का आदेश भ्रामक एवं विधिक आदेश नहीं होता। स्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में स्वामित्व एवं कब्जे के साक्ष्य की विवेचना की जाकर प्रकरण का नातिक निस्तारण किया जाना होता है। यथास्थिति के आदेशों से प्रकरण में विवाद विद्यमान ही रहेगा।

अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय उपरोक्त विवेचनानुसार प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होकर तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 8–6–2016 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 31–1–2018 को उपस्थित होवें।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 30–11–2017 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ. .....मुकाम ..... उदयपुर व इजलास ..... एल.एन. मंत्री आर.ए.एस. .....

1–श्री नका पिता काना पारगी भील निवासी वागड़ा तहसील झाड़ोल जिला उदयपुर व अन्य–5	बनाम	**श्री नानालाल पिता रामा जी भील निवासी वागड़ा तहसील झाड़ोल जिला उदयपुर**

अपील नं0 **43/2014** बनाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी** .....**झाड़ोल** .....मुकाम मुर्ख्वे.....**14**.....माह.....**05**.....**2014**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**09**..... माह .....**11**..... सन् .....**2017** .....रूबरू . .....पक्षकारान व हाजरी .....**श्री सुरेश त्रिवेदी** ..... मिनजानिब अपीलान्ट व . .....**श्री मनीष शर्मा** ..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 14–5–2014 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**09**..... माह .....**11**..... **2017** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।